# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

**::आदेश ::**

क्रमांकः- 30/अ-19(3)/2017-18/ 8244 बैतूल दिनांक 7 / 7 /2018

इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 26-5-2018 द्वारा, मौजा हमलापुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 105/1 रकबा 2.995 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 106/1 रकबा 1.052 हेक्टेयर(कुल 4.047 हेक्टेयर) भूमि प्रोजेक्ट बैलगाडी उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन से वापस लेकर पूर्ववत् राजस्व विभाग में निहित करते हुए, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ( कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग होशंगाबाद) को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए बिना प्रब्याजि के केवल एक रूपये वार्षिक भू-भाटक पर शर्तो के अधीन आवंटित की गई है ।

2- मुख्य ~~नगर~~ नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल के पत्र क्रमांकः- लो. नि.शा./2018/2727 दिनांक 12-6-2018 द्वारा, निकाय के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के A.H.P. घटक हेतु चिन्हित किये गये 2700 हितग्राहियो को योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए मौजा हमलापुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 105/1 रकबा 2.995 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 106/1 रकबा 1.052 हेक्टेयर निकाय को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल का कार्यालय एवं गोदाम भी स्थित होने के कारण जिला प्रबंधक एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल के पत्र क्रमांकः- एग्रो/बैतूल/2018/107, दिनांक 1-6-2018 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक- 171 दिनांक 22-6-2018 द्वारा, निगम के आधिपत्य की 1.5 एकड भूमि (जिस पर उपरोक्तानुसार संरचनाए निर्मित है) को निगम के आधिपत्य में रखे जाने की अनुमति चाही गई है।

3- चूँकि प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल ( कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग होशंगाबाद) को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित की जा चुकी थी, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के A.H.P. घटक हेतु चिन्हित किये गये 2700 हितग्राहियो को योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए इस भूमि की मॉग की जा रही है साथ ही उक्त आवंटित भूमि में से 1.5 एकड एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल के आधिपत्य में होकर उस पर कार्यालय एवं गोदाम आदि संरचनाए निर्मित है। अतः ऐसी स्थिति में कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग होशंगाबाद से निम्नलिखित बिन्दुओ पर जानकारी आहूत की गई:-

(1)- शासन द्वारा मण्डल को बैतूल मुख्यालय पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण करने हेतु लक्ष्य अथवा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2)- आवंटित भूमि पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण करने हेतु क्या योजना बनाई गई है।

(3)- नगर पालिका बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार उक्त प्रश्नाधीन भूमि आपसे वापस ली जाकर नगर पालिका बैतूल को आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में अभिमत।

4- कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग होशंगाबाद द्वारा आज पर्यन्त उक्त बिन्दुओ पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अत: समय सीमा मे जानकारी उपलब्ध ना कराने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । इ.ी प्रकार तहसीलदार बैतूल द्वारा अपने पत्र क्रमांक प्रवाचक. तह/ 17 18 /3427 दिनांक 06.07.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदित भूमि का रिकार्ड म.प्र.ग़ह निर्माण एवं अंधोसरंचना विकास मंडल संभाग होशंगाबाद विभाग के नाम से दूरूस्त नही किया गया है वर्तमान मे राजस्व् अभिलेख मे यथावत भूमि बैलगाडी प्रोजेक्ट के नाम प्रविष्टी दर्ज है। मध्यप्रदेश ग़ह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल संभाग होशंगाबाद विभाग को आवंटित भूमि का कब्जा भी नही लिया गया है । अत: इससे प्रतीत होता है कि म.प्र;हाउसिंग बोर्ड को जमीन की आवश्यकता नही है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-51 (एक) के अनुसार कलेक्टर या अपर कलेक्टर द्वारा, स्वयं पारित किसी आदेश का पुर्नविलोकन स्वप्रेरणा से किया जा सकता है।

5- उक्त प्रश्नाधीन भूमि के 1.5 एकड क्षेत्र पर, एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल का आधिपत्य होने एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा प्रतिपादित की गई आवश्यकता तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त प्रश्नाधीन भूमि में से एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल के द्वारा प्रस्तुत पटवारी नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 105/1 के कुल रकबा 2.955 हे. मे से उनके आधिपत्य की 1.5 एकड;भूमि (कार्यालय एवं गोदाम की भूमि) को छोडकर शेष भूमि नगर पालिका परिषद को, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के A.H.P. घटक हेतु चिन्हित किये गये 2700 हितग्राहियो को योजना का लाभ दिलाए जाने आवंटित किया जाना उपयुक्त एवं उचित प्रतीत होता है।

6- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ नं. 6-140/07/सात/ नजूल दिनांक 31-8-2007 के अनुसार शहरी गरीबो के लिए आवासीय योजना के अंतर्गत गंदी बस्तियो के विकास एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए शासकीय नजूल भूमि शासन द्वारा इस हेतु नियुक्त एजेन्सियो को निःशुल्क अर्थात बिना प्रब्याजि एवं रूपये एक केवल के वार्षिक भू-भाटक पर उपलब्ध कराया जाना है तथा परिपत्र क्रमांक- एफ 6-120/2015/सात-नजूल दिनांक 17-12-2015 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन हेतु राजस्व भूमि राशि रूपये एक पर निर्माण एजेंसी को कलेक्टर द्वारा आवंटित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

7- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तथ्यो के आधार पर इस प्रकरण में पूर्व जारी आदेश दिनांक 26-5-2018 द्वारा, कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग होशंगाबाद के पक्ष में किए गए भूमि के आवंटन को निरस्त करते हुए मौजा हमलापुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 105/1 रकबा 2.995 हेक्टेयर मे से 1.50 एकड / 0;607 हे. एम पी.एग्रो.इण्डस्टीज डेव्हलपमेंट कापेरेशन लिमिटेड बैतूल के कार्यालय एवं गोदाम की भूमि को छोडकर शेष भूमि रकबा 2;388 हे. एवं खसरा नंबर 106/1 रकबा 1.052 हेक्टेयर कुल रकबा 3.440 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के A.H.P. घटक के क्रियान्वयन हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल को बिना प्रब्याजि के केवल एक रूपये वार्षिक भू-भाटक पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:-

(1)- आवंटित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4)- आवंटित भूमि पर किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी।

(5) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 30/अ-19(3)/2017-18/ 8244 बैतूल दिनांक 0 7 /0 7 /2018

प्रतिलिपिः-

1-कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ।

2-अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

3-तहसीलदार बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

4-मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।

6-जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

11/07/18